बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 115/आवंटन पटना, दिनांक 25.02.19

सं0 सं0–05/उ0 नि0 व0 (आवंटन) 24/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक (तक0),
तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0150–सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना विपत्र कोड 23-2852801020150, विषय शीर्ष–0150.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सीपेट के व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतिहारी में करने हेतु रू0 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में विषय शीर्ष–0150.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सीपेट के व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतिहारी में करने हेतु रू0 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0150–सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना विपत्र कोड 23-2852801020150, विषय शीर्ष–0150.31.05–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण व्यय में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 के स्वीकृत्यादेश सं0 738 दिनांक 21.02.19 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। इस स्वीकृत्यादेश के सभी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

कृ0 पृ0 उ0

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0 / बिल नं0 एवं CTMIS मासिक प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 115/अ0/वि2019 पटना, दिनांक 25.02.19

प्रतिलिपि :– सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 115/अ0/वि2019 पटना, दिनांक 25.02.19

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम / निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना / उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा–01 (स0) योजना, उद्योग विभाग / प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय / उप उद्योग निदेशक(योजना),उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारियों के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।